2.1.2

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2023–24

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

Scanned with OKEN Scanner

\ 2.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:मंत्रालय:
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 31/5/2023
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

सदर्भ:— आपका प्रस्ताव कमांक 3921 / 1253 / आउशि / सम / 2023 दिनाक 12.05.2023

-----00-------

विषयांतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धात की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

आपके प्रस्तावानुसार सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सलग्न – उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 31/5/2023

प्रतिलिपि: -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3 गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

E-mail - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in

क्रमांक 3948/1253/आउशि/सम/2023 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/6/2023

प्रति

1. कुलसचिव
   समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
   समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय – छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

संदर्भ – अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.05.2023

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के सदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023–24 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023–24 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न –उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 3949/1253/आउशि/ सम/2023 **नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/6/2023**

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय मे पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियो के क्रम मे होगा।।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं मे पूरक छात्रो के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रो को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष मे प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय मे प्रदेश के अन्य स्थानो / तहसीलो / जिलो के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय को स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण–छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियो के साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटो पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(2) निःशक्त व्यक्तियो, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के बच्चो या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध मे क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियो, पौत्र, पौत्रियों और नाती / नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची मे रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी मे भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यार्धीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

टीप :– अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कं. एफ 13–1/2023/आ.प्रा./1–3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरुप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कं. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

Scanned with OKEN Scanner

संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)
Email: - registrarsua@yahoo.in Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक/414 /अकादमिक/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 12.06.2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.05.2023 के विषय क्रमांक 10 में लिए गए निर्णयानुसार स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (नियमित/स्वाध्यायी) में प्रवेश एवं परीक्षा संचालन हेतु निम्नानुसार विषय समूह का निर्धारण किया जाता है-

कला संकाय

(अ) अनिवार्य विषय

(1) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा
(2) आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा
(3) पर्यावरण अध्ययन

(ब) वैकल्पिक विषय समूह – छात्र द्वारा दिये गये 6 (छः) विषय समूहों में से कोई भी 3 (तीन) विषय का चयन किया जाएगा, प्रत्येक समूह से केवल कोई एक विषय का चयन छात्र कर सकेगा।

समूह (1) समाजशास्त्र/प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व/मानव विज्ञान
(2) राजनीतिशास्त्र/गृह विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन
(3) हिन्दी साहित्य/संस्कृत साहित्य/उर्दू साहित्य/गणित
(4) अर्थशास्त्र
(5) भूगोल/मनोविज्ञान/शिक्षा शास्त्र
(6) इतिहास/अंग्रेजी साहित्य/संगीत

नोट - प्रायोगिक विषयों के प्रायोगिक परीक्षाएं उसी विषय के अंतर्गत होंगे।

वोकेशनल पाठ्यक्रम के रूप में संचालित कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय का चयन केवल नियमति छात्र ही कर सकेगा, उपर्युक्त विषय अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिये लागू नहीं है।

विज्ञान संकाय

(I) गणित समूह

(अ) अनिवार्य विषय

(1) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा
(2) आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा
(3) पर्यावरण अध्ययन

(ब) वैकल्पिक विषय समूह

(1) गणित
(2) भौतिकी
(3) रसायनशास्त्र/कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स
(4) भूगर्भशास्त्र

नोट - छात्र द्वारा दिये गये 4 (चार) विषय समूहों में से कोई भी 3 (तीन) विषय का चयन किया जाएगा, प्रत्येक समूह से केवल कोई एक विषय का चयन छात्र कर सकेगा। प्रायोगिक विषयों के प्रायोगिक परीक्षाएं उसी विषय के अंतर्गत होंगे।

क्रमशः 02

Scanned with OKEN Scanner

(II) जीवन विज्ञान समूह

(अ) **अनिवार्य विषय**

(1) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा
(2) आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा
(3) पर्यावरण अध्ययन

(ब) **वैकल्पिक विषय समूह**

रसायनशास्त्र (अनिवार्य)
(1) वनस्पतिशास्त्र
(2) प्राणिशास्त्र
(3) सूक्ष्मजीव विज्ञान/औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी/मानवशास्त्र/भूगर्भशास्त्र

नोट - वैकल्पिक विषयों में प्रथम विषय के रूप में रसायनशास्त्र विषय का चयन अनिवार्य है। शेष दो विषयों का चयन दिये गये तीन विषय समूह में से किया जाएगा। प्रत्येक समूह से केवल कोई एक विषय का चयन छात्र कर सकेगा।

नोट - विज्ञान संकाय में कम्प्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूक्ष्मजीवविज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्मजीवविज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी एवं भूगर्भशास्त्र विषय का चयन केवल नियमित छात्र ही कर सकेंगे, उपर्युक्त विषय अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिये लागू नहीं है।

वाणिज्य संकाय

(अ) **अनिवार्य विषय**

(1) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा
(2) आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा
(3) पर्यावरण अध्ययन
(4) Accounting
(5) Business Management

(ब) **वैकल्पिक विषय समूह**

(1) Applied Economics/Computer Application/Tax Procedure & Practice.

नोट - वोकेशनल पाठ्यक्रम के रूप में संचालित कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टैक्स प्रोसीजर एवं प्रैक्टिस विषय का चयन केवल नियमित छात्र ही कर सकेंगे, उपर्युक्त दोनों वोकेशनल विषय अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए लागू नहीं होगा। बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. के विषय पूर्व वर्षानुसार होंगे।

टीप - **उपर्युक्त निर्णय सभी स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2023-24 से लागू एवं मान्य होंगे। तत्पश्चात् सत्र 2024-25 से द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2025-26 से तृतीय वर्ष में लागू होंगे।**

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

sd/- **कुलसचिव**

पृष्ठांकन क्र./415 /अकादमिक/2023 — अम्बिकापुर, दिनांक 12 .06.2023

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
2. प्राचार्य समस्त सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालयीन नस्ती।

sd/- **सहायक कुलसचिव (अकादमिक)**

Scanned with OKEN Scanner